

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-4ए/2013
संस्थापन दिनांक-07.01.2013

दुखू सिंह पिता रूपलाल, उम्र 21 वर्ष, जाति तेली
निवासी-सालेवाड़ा, थाना बिरसा, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- वादी

विरुद्ध

1-मयाराम पिता सुखीराम, उम्र 70 वर्ष, जाति तेली,
निवासी-सालेवाड़ा, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)
हाल मुकाम-ग्राम धामिन्दिही, डाकघर रेंगाखार तहसील बोडला,
जिला कर्कधा (छ.ग.)

2-रमसिल बाई पति अलीराम, जाति तेली,
निवासी-धामिन्दिही, तहसील बोडला,
जिला कबीरधाम (छ.ग.)

3-रूपाबाई पति तीरथराम, जाति तेली,
निवासी-सालेवाड़ा, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-रूपलाल पिता मयाराम, जाति तेली,
निवासी-वरेन्डा, तहसील बोडला,
जिला कबीरधाम (छ.ग.)

5-गल्लोबाई पति दुखीराम, जाति तेली
निवासी-करोँदा, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

6-हेमलाल पिता मयाराम, जाति तेली,
निवासी-वरेन्डा, तहसील बोडला,
जिला कबीरधाम (छ.ग.)

----- प्रतिवादीगण

-: / / निर्णय / / :-

(आज दिनांक-12/09/2014 को घोषित)

1- वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा सालेवाड़ा, प.ह.न. 39, रा.नि.मं. दमोह व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 32/1, रकबा 0.627 हेक्टेयर भूमि (जिसे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) में से 0.91 डिसमिल भूमि पर एकमात्र स्वत्व होने की घोषणा हेतु पेश किया है।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3- वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरुष सुखीराम के दो पुत्र क्रमशः प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम तथा कंडरा को विरासतन हक की भूमियाँ प्राप्त हुई, जिसमें से प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम को विवादित भूमि सहित अन्य भूमियाँ प्राप्त होकर राजस्व अभिलेख में उसके नाम पर दर्ज हुई। प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम ने वर्ष 2005 में अपने पुत्रों क्रमशः रूपलाल (वादी के पिता) और हेमलाल के बीच मौखिक बंटवारा कर विवादित भूमि वादी के पिता रूपलाल प्रतिवादी क्रमांक-4 को दे दी थी, तब से उक्त भूमि वादी के पिता रूपलाल ने वादी को खाने कमाने के लिए दे दी और वादी उसमें प्रतिवर्ष धान की फसल कमाता है। नवम्बर 2012 में प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम से मौखिक बंटवारा की लिखापढ़ी करने हेतु वादी ने आग्रह किया तो प्रतिवादी क्रमांक-1 ने मना कर दिया। विवादित भूमि वादी की पैतृक भूमि होने से उस पर वादी का जन्म से अधिकार है, जिसे प्रतिवादी क्रमांक-1 विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। वादी ने विवादित भूमि पर उसका स्वत्व एवं आधिपत्य घोषित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा है।

4- प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 ने वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि मूल पुरुष सुखीराम की संतान में से पुत्र प्रतिवादी क्रमांक-1 के अलावा पुत्र कन्हैया उर्फ कंडरा, पुत्रीगण क्रमशः लतेलीन बाई, फागनबाई व सुनतीबाई थी, जो फौत हो चुके हैं। प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम की प्रतिवादी क्रमांक-2 से 6 संताने हैं। प्रतिवादी क्रमांक-4 रूपलाल की

दो पत्नियों सोनियाबाई व कामिनबाई से वादी के अलावा 6 संताने और भी है। मूल पुरुष सुखीराम की मृत्यु उपरांत उसके दोनों पुत्र कंडरा एवं मयाराम के नाम पर विरासतन हक में भूमियाँ प्राप्त हुई। मयाराम एवं कंडरा पारिवारिक व्यवस्थापन के अंतर्गत प्राप्त भूमि के आधे-आधे अंश पर काबिज काशत थे। प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम ने अपनी संतानों के मध्य उसे प्राप्त भूमि का विधिवत् बंटवारा नहीं किया है और सम्पूर्ण भूमि के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम ने मात्र व्यवस्था के आधार पर उसके पुत्र रूपलाल एवं हेमलाल को भूमि काशत करने दी है, जिसमें वादी को वर्तमान में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अपनी भूमियों का विक्रय नहीं किया जा रहा है। अतएव वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या ग्राम साल्हेवाड़ा, पटवारी वृत्त क्रमांक-39, रा.नि. मं.दमोह, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 32/1, रकबा 0.627 हेक्टेयर भूमि में से 0.36 हेक्टेयर अर्थात् 0.91 डिसमिल भूमि वादी के एकमात्र स्वत्व व आधिपत्य की है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या उक्त विवादित भूमि में से 0.36 हेक्टेयर अर्थात् 0.91 डिसमिल भूमि का प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विक्रय का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-1 एवं 2 का निराकरण

6— उक्त दोनों वादप्रश्न का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि में से 0.36 हेक्टेयर अर्थात् 0.91 डिसमिल भूमि वादी के एकमात्र स्वत्व व आधिपत्य की

है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में संशोधन पंजी क्रमांक-21, दिनांक-02.04.2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 पेश किया है, जिसमें खरीदी हक में खसरा नम्बर 32/1 में से 0.50/0.202 हेक्टेयर भूमि मयाराम से राधेलाल द्वारा खरीदने के कारण उसके नाम दर्ज होने का तथ्य प्रकट होता है। वादी ने विवादित भूमि का वर्तमान खसरा फार्म एवं किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2011-12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 पेश किया है, जिसमें सम्पूर्ण विवादित भूमि पर मयाराम का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। उक्त दस्तावेज के अलावा वादी ने विवादित भूमि से संबंधित पुराने राजस्व अभिलेख की प्रति पेश नहीं की है, जिससे यह प्रकट हो कि प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम को उक्त विवादित भूमि उसके पिता सुखीराम से प्राप्त हुई थी।

7— वादी ने विवादित भूमि में से 0.91 डिसमिल भूमि पर एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। वादी ने विवादित भूमि के उक्त भू-भाग पर उसके पिता प्रतिवादी क्रमांक-4 रूपलाल को वर्ष 2005 में कथित मौखिक विभाजन के अंतर्गत प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम के द्वारा प्रदान की गई भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य का दावा किया गया है, जिसका निराकरण प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की विवेचना पर आधारित है।

8— वादी दुखू सिंह (वा.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने बंटवारा संबंधी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादी ने अपने समर्थन में जगरासन (वा.सा.2) की साक्ष्य पेश की है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में वादी का समर्थन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ग्राम साल्हेवाड़ा की भूमि को दुखू सिंह, भरतलाल व उसका पिता रूपलाल एक साथ काश्त करते हैं और मयाराम को फसल देते रहे हैं।

9— प्रतिवादी मयाराम (प्र.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने बंटवारे में प्राप्त भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय कर दिया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने सुखीराम से बंटवारे में प्राप्त भूमि को रूपलाल एवं हेमलाल को काश्त करने हेतु दिया है तथा उनके मध्य जमीन का बंटवारा कर दिया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुत्रों को बंटवारे में भूमि प्रदान करने के पश्चात् वर्तमान में उसके पास केवल 80 डिसमिल भूमि बची है। इस

प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में विवादित भूमि के पारिवारिक बंटवारे के तथ्य को स्वीकार किया है।

10— प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के आधार पर तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम ने अपने पुत्रगण रूपलाल एवं हेमलाल को पारिवारिक बंटवारे के अंतर्गत कुछ भूमियाँ प्रदान की है तब भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि कथित बंटवारा में प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं उसके पुत्रगण को किस खसरा नम्बर की तथा कितनी भूमि प्राप्त हुई है। वादी ने विवादित भूमि पर सहदायिकी हक के आधार पर दावा पेश नहीं किया है। वादी की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि विवादित भूमि उसकी पैतृक संपत्ति है तथा उसके पिता ने विभाजन में प्राप्त विवादित भूमि में से 0.91 डिसमिल भूमि को काश्त करने दी है, इस कारण उक्त भू-भाग पर वादी का स्वत्व हो चुका है।

11— वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत— द विजया कालेज टस्ट विरुद्ध द कुमता को—आपरेटिव एरेकान्ट सेल्स सोसायटी लिमिटेड और अन्य ए.आई.आर.1995 कर्नाटक 35, जमरथ बी विरुद्ध प्रहलाद दत्तात्रय दड़पे एवं अन्य ए.आई.आर 1978 बाम्बे 229, नारायण प्रभु एवं अन्य विरुद्ध जर्नाधन मल्लन एवं अन्य ए.आई.आर. 1974 केरला 108, श्रीमति दीपो विरुद्ध वासनसिंह एवं अन्य ए.आई.आर.1983 एस.सी. 846 में माननीय न्यायालय द्वारा सहदायिकी संपत्ति में हक प्राप्त करने संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किये गये है। उक्त न्यायिक उद्धरणों से यह न्यायालय सादर सहमत है, किन्तु इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति भिन्न होने के कारण उक्त प्रतिपादित सिद्धांत का वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

12— वादी के द्वारा विवादित भूमि के कथित भू-भाग पर मात्र पैतृक संपत्ति होने के आधार पर दावा पेश किया गया है। विवादित भूमि वादी के पिता को पारिवारिक व्यवस्थापन में प्राप्त होने के अभिवचन एवं साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि के संबंध में सहदायिकी का अस्तित्व है। वास्तव में वादी को विवादित भूमि पर सहदायिकी अस्तित्व में होना अथवा संयुक्त परिवार की संपत्ति होने के आधार पर दावा पेश करते हुए अंश निर्धारण या बंटवारा के अनुतोष की मांग किया जाना था। वादी का विवादित भूमि के संबंध में सहदायिकी का अस्तित्व प्रमाणित किये बगैर उस पर स्वत्व

प्राप्ति का दावा प्रचलन योग्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि के अलावा अन्य भूमि का विक्रय कर दिया है, जिसे इस वाद में वादी ने चुनौती नहीं दी है और न ही विवादित भूमि के अलावा अन्य भूमियों के संबंध में स्वत्व या अंश प्राप्त होने का दावा पेश किया है। वादी ने विवादित भूमि के अलावा अन्य भूमि के संबंध में दावा के त्याग का कोई कारण या स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। उक्त कारण से भी वादी का वाद प्रचलन योग्य नहीं है।

13— न्यायदृष्टांत—चन्द्रकांता एवं अन्य विरुद्ध अशोक कुमार एवं अन्य, 2002(3) एम.पी.एल.जे. 576 में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के उपरांत जन्मसिद्ध अधिकार का सिद्धांत अस्तित्व में नहीं रहता और पुत्र को संपत्ति में हिस्सेदारी केवल उसके पिता की मृत्यु होने के बाद में ही मिलती है। पिता द्वारा विभाजन में पैतृक संपत्ति में प्राप्त अंश पर पुत्र को जन्म द्वारा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है और वह अपने पिता की मृत्यु उपरांत संपत्ति प्राप्त करता है।

14— न्यायदृष्टांत—बाबूलाल विरुद्ध रामकली बाई, 2012 (2) एम.पी.एल.जे. 713 में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संपत्ति का स्वामित्व रखने वाले हिन्दू पुरुष के जीवित रहते हुए, संपत्ति के विभाजन का दावा नहीं किया जा सकता। हिन्दू पुरुष की संपत्ति उसके वारिसों को मिलेगी और वे केवल उसकी मृत्यु के बाद ही विभाजन का दावा कर सकते हैं, उसके जीवित रहने के दौरान नहीं। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य एवं उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में यह प्रकट होता है कि विवादित संपत्ति के संबंध में वादी को मात्र धारा-8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसके पिता की मृत्यु के उपरांत ही उत्तराधिकार में प्राप्त होने का दावा करने का अधिकार है। वादी को विवादित भूमि के संबंध में सहदायिकी का अस्तित्व प्रमाणित किये बगैर विवादित भूमि पर जन्म से अधिकार प्राप्त होना तथा उसके पिता अथवा पिता के पिता प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम के जीवनकाल में कोई हक प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है।

15— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम ने विवादित भूमि को उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। विवादित भूमि पर सहदायिकी अस्तित्व में होने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया गया है। वादी ने

विवादित भूमि के अलावा अन्य भूमि के संबंध में दावा के त्याग का कोई कारण या स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। वादी ने वाद का कारण नवम्बर 2012 में उस समय उत्पन्न होना प्रकट किया है जब वादी के हिस्से की भूमि का विभाजन प्रतिवादी क्रमांक-1 मयाराम ने लेखबद्ध करने से इंकार कर दिया। यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाये कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम दर्ज भूमि पर सहदायिकी का अस्तित्व रहा है, तब ऐसी दशा में उक्त प्रकट किये गये वाद कारण से वादी को सम्पूर्ण सहदायिक संपत्ति पर अंश निर्धारण एवं विभाजन कराये जाने का अधिकार हेतु वाद कारण प्राप्त हो चुका था। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विक्रय की गई भूमियों एवं शेष बची हुई भूमि के संबंध में दावा न करते हुए तथा सम्पूर्ण भूमि पर अंश निर्धारण एवं विभाजन कराये जाने के अनुतोष की मांग न करते हुए मात्र विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व की घोषणा का वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा-34 के परन्तुक के अंतर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

16— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने उसकी संपत्ति का पूर्व में विक्रय कर दिया है, जिसके संबंध में वादी या उसके पिता ने कोई चुनौती पेश न कर उक्त विक्रय को मान्य किया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा कथित विवादित भूमि या उसके भू-भाग को विक्रय किये जाने के प्रयास के संबंध में वादी की ओर से ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 ने कथित भूमि का किसी से सौदा या इकरार कर लिया है। इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा भूमि विक्रय किये जाने की संभावना प्रकट नहीं होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अपने हक की भूमि के विक्रय करने से रोकने का वादी को कोई हक प्राप्त नहीं है, इस कारण भी वादी को उक्त के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 व 2 'प्रमाणित नहीं' के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

सहायता एवं व्यय

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादी का वाद निरस्त किया जाता है। वाद में निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है :—

- (1) वादी का ग्राम साल्हेवाड़ा, पटवारी वृत्त क्रमांक-39, रा.नि.मं.दमोह, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 32/1, रकबा 0.627 हेक्टेयर भूमि

में से 0.91 डिसमिल भूमि पर एकमात्र स्वत्व व आधिपत्य का दावा एवं विक्रय से रोकने का वाद निरस्त किया जाता है।

(2) वादी स्वयं के साथ प्रतिवादीगण का भी वादव्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)